UPCD010001952013

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चन्दौली

उपस्थितः दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी (एच.जे.एस.)

J.O.Code.U.P.5730

आपराधिक वाद संख्या 38/2013

उत्तर प्रदेश राज्य —अभियोजनपक्ष

प्रति

कौशल प्रजापति पुत्र बहादुर प्रजापति निवासी जगदीशपुर थाना बबुरी जिला चन्दौली

—अभियुक्त

अपराध संख्या 76/2013
धारा 8/21/22 एन.डी.पी.एस ऐक्ट
थाना जी.आर.पी मुगलसराय जिला चन्दौली

निर्णय

1. प्रस्तुत आपराधिक वाद थाना जी.आर.पी मुगलसराय जनपद चन्दौली की पुलिस द्वारा अभियुक्त कौशल प्रजापति उपरोक्त के विरूद्ध धारा 8/21/22 एन.डी.पी. एस ऐक्ट के तहत प्रेषित आरोपपत्र पर आधारित है।

2. अभियोजनपक्ष का कथन संक्षेप में इसप्रकार है कि दिनांक 06—03—2013 को वादी उपनिरीक्षक सुदेश कुमार सिंह विनावर करते चेकिंग प्लेटफार्म से पीएचबी में पहुंचा कि कां. 93 सतीश कुमार तिवारी एवं कां. 2943 समरजीत पासवान मिले जिन्हें साथ लेकर संदिग्ध व्यक्ति व वस्तुओं की चेकिंग कर रहे थे कि अचानक पुलिस वालों को देखकर एक व्यक्ति पूछताछ खिड़की के पास से भागने लगा कि शक होने पर हमराहियों की मदद से दौड़ाकर भाग रहे व्यक्ति को मोटरसाइकिल स्टैण्ड के पास स्थित बैंक आफ इण्डिया के एटीएम के सामने पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर पकड़ा गया व्यक्ति अपना नाम कौशल प्रजापति पुत्र बहादुर प्रजापति निवासी जगदीशपुर थाना बबुरी जिला चन्दौली बताया। भागने का कारण पूछने पर बता रहा है कि उसके पास डायजापाम का नशीला पाउडर है इसलिये पकड़े जाने के डर से भाग रहा था। इसपर पकड़े गये कौशल प्रजापति को बताया गया कि तुम्हारे पास डायजापाम का नशीला पाउडर है इसलिये तुम्हारा अधिकार है कि तुम चलकर अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष दो। इसपर कौशल उपरोक्त अपनी गलती की माफी मांगते हुए कहने लगा कि उसे कहीं नहीं जाना है। आप लोगों ने पकड़ लिया है, आप ही उसकी जामा तलाशी ले लें, उसे आप लोगों पर विश्वास है। इसपर सहमतिपत्र तैयार कर अभियुक्त के हस्ताक्षर बनवाकर पहले पुलिस वाले उसके समक्ष आपस में एक दूसरे की जामा—तलाशी ले दे कर इत्मिनान हुए कि किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं है, पकड़े गये कौशल उपरोक्त की जामा तलाशी ली गयी तो उसके पैंट के दाहिने जेब से एक प्लास्टिक की पन्नी के अन्दर अखबारी कागज में लपेटा सफेद रंग का पाउडर डायजापाम बरामद हुआ। अभियुक्त का यह कार्य अन्तर्गत धारा 8/21/22 एनडीपीएस ऐक्ट के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः कारण बताकर समय करीब 14.00 बजे हिरासत में तथा बरामद माल को कब्जा में लिया गया। कां. सतीश तिवारी से थाने से बाट माप मंगाकर वजन किया गया तो कौशल से बरामद डायजापाम का वजन करीब 240 ग्राम हुआ जिसे मौके पर उसी कागज व पन्नी में रखकर सफेद कपड़े में रखकर सर्वमुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया। मौके पर यात्रियों की भीड़ इकट्ठा है लेकिन गवाही के नाम पर बिना नाम बताये हट बढ़

Digitally signed by DIWAKAR PRASAD CHATURVEDI
Date: 2026.05.14 10:48:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गये। दौरान गिरफ्तारी व बरामदगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा–निर्देशों का पालन किया गया। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के घर अकब से भिजवाया जायेगा। फर्द मौके पर लिखकर पढ़कर सुनाकर सभी सम्बन्धित के अलामात बनवाये जा रहे हैं। फर्द की एक प्रति अभियुक्त को दी गयी।

3. वादी मुकदमा निरीक्षक सुदेश कुमार सिंह द्वारा फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 के आधार पर दिनांक 06–03–2013 को ही समय 15.45 बजे थाना जी.आर.पी मुगलसराय जिला चन्दौली में अभियुक्त कौशल प्रजापति के विरूद्ध अपराध संख्या 76/2013 धारा 8/21/22 एन.डी.पी.एस ऐक्ट के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–4 पंजीकृत करायी गयी और मामले की प्रविष्टि नकल कायमी जी.डी पर की गयी जिसकी छायाप्रति पत्रावली पर प्रदर्श क–5 के रूप में उपलब्ध है। मामले में विवेचना का कार्य प्रारम्भ हुआ दौरान विवेचना विवेचक द्वारा धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत गवाहों के बयानात अंकित किए गए तथा घटनास्थल की नक्शानजरी प्रदर्श क–6 तैयार की गयी और मामले में विवेचना के उपरान्त विवेचक द्वारा पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के आधार पर अभियुक्त कौशल प्रजापति पुत्र बहादुर प्रजापति निवासी जगदीशपुर थाना बबुरी जिला चन्दौली के विरूद्ध धारा 8/21/22 एन.डी.पी.एस ऐक्ट के तहत आरोपपत्र प्रदर्श क–7 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4. न्यायालय द्वारा दिनांक 04–09–2015 को अभियुक्त कौशल प्रजापति उपरोक्त को धारा 8/21/22 एन.डी.पी.एस ऐक्ट के आरोप से आरोपित किया गया। अभियुक्त उपरोक्त ने उक्त विरचित आरोप से इन्कार किया और रंजिशन मुकदमा चलने की बात कही और विचारण की मॉग की।

5. अभियोजनपक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्षी पीडब्लू–1 के रूप में वादी निरीक्षक सुदेश कुमार सिंह को परीक्षण हेतु न्यायालय में पेश किया गया है जिसने अपने मुख्य बयान में बतौर प्राथमिक साक्षी फर्द बरामदगी को अपने लेख व हस्ताक्षर में बताते हुए उसे साबित किया है। अतः उस पर प्रदर्श क–1 डाला गया है। इसी प्रकार साक्षी पीडब्लू–1 निरीक्षक सुदेश कुमार सिंह ने अपने मुख्य बयान में बतौर प्राथमिक साक्षी अभियुक्त कौशल प्रजापति के गिरफ्तारी मेमो को अपने लेख व हस्ताक्षर बताते हुए उसे साबित किया है। अतः उस पर प्रदर्श क–2 डाला गया है। इसी प्रकार साक्षी पीडब्लू–1 निरीक्षक सुदेश कुमार सिंह ने अपने मुख्य बयान में तथाकथित रूप में अभियुक्त कौशल प्रजापति के पास से बरामद 240 ग्राम डायजापाम पावडर, जिस कपड़े में रखा गया था तथा माल को साबित किया है। अतः उन पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श–1 व वस्तु प्रदर्श–2 डाले गये हैं। इसी प्रकार अभियोजनपक्ष द्वारा अन्य मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्षी पीडब्लू–2 के रूप में हेडकां0 समरजीत पासवान को परीक्षण हेतु न्यायालय में पेश किया गया है जिसने अपने मुख्य बयान में फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 पर अपने हस्ताक्षर की पहचान किया है। इसी प्रकार साक्षी पीडब्लू–2 हेडकां0 समरजीत पासवान ने अपने मुख्य बयान में बतौर द्वितीयक साक्षी अभियुक्त कौशल प्रजापति द्वारा तथाकथित रूप में दिए गए सहमति पत्र को कां0 सतीश कुमार तिवारी के लेख व हस्ताक्षर में बताते हुए उसे साबित किया है। अतः उस पर प्रदर्श क–3 डाला गया है। इसी प्रकार अभियोजनपक्ष द्वारा अन्य मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्षी पीडब्लू–3 के रूप में उपनिरीक्षक मुन्नालाल को परीक्षण हेतु न्यायालय में पेश किया गया है जिसने अपने मुख्य बयान में बतौर प्राथमिक साक्षी मूल चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं नकल कायमी जी.डी को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना साबित किया है। अतः उन पर क्रमशः प्रदर्श क–4 व प्रदर्श क–5 डाले गये है। इसी प्रकार अभियोजनपक्ष द्वारा अन्य मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्षी पीडब्लू–4 के रूप में निरीक्षक विमलप्रकाश राय को परीक्षण हेतु न्यायालय में पेश किया गया है जिसने अपने मुख्य बयान में बतौर प्राथमिक साक्षी घ ाटना स्थल की नक्शाजरी व आरोपपत्र को अपने लेख व हस्ताक्षर में बताते हुए उन्हें साबित किया है। अतः उनपर क्रमशः प्रदर्श क–6 व प्रदर्श क–7 डाले गये है।

अभियोजनपक्ष की ओर से अन्य किसी मौखिक गवाह को परीक्षण हेतु न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। अभियोजनपक्ष की ओर से अन्य कोई मौखिक अथवा दस्तावेजीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। दिनांक 04–05–2026 को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा आदेशपत्र पर यह सूचित किया गया कि अभियोजनपक्ष का साक्ष्य समाप्त किया जाता है। अतः न्यायालय द्वारा दिनांक 04–05–2026 को अभियोजनपक्ष के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया। इस प्रकार अभियोजनपक्ष के साक्ष्य का अवसर समाप्त हुआ।

6. अभियुक्त कौशल प्रजापति का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया है जिसमें अभियुक्त उपरोक्त ने कथित घटना को गलत बताया और रंजिशन झूंठी गवाही देने की बात बताते हुए पुलिस द्वारा झूँठा फॅसाये जाने का कथन करते हुए सफाई साक्ष्य पेश करने से इन्कार किया। इस प्रकार अभियुक्त कौशल प्रजापति के सफाई साक्ष्य का अवसर भी समाप्त हुआ।

7. मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की बहस व अभियुक्त कौशल प्रजापति के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुन लिया है व पत्रावली का विस्तारपूर्वक अवलोकन कर लिया है।

निष्कर्ष

8. पत्रावली से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत प्रकरण में अभियोजनपक्ष द्वारा तथ्य के दो गवाहान साक्षी पीडब्लू–1 वादी मुकदमा निरीक्षक सुदेश कुमार सिंह को व साक्षी पीडब्लू–2 के रूप में हेडकां0 समरजीत पासवान को परीक्षण हेतु न्यायालय में पेश किया गया है। शेष गवाहान साक्षी पीडब्लू–3 उपनिरीक्षक मुन्नालाल व साक्षी पीडब्लू–4 निरीक्षक विमल प्रकाश राय औपचारिक गवाहान हैं। अभियोजनपक्ष का यह कहना है कि दिनांक 06–03–2013 को वादी उपनिरीक्षक सुदेश कुमार सिंह विनावर करते चेकिंग प्लेटफार्म से पीएचबी में पहुंचा कि कां. 93 सतीश कुमार तिवारी एवं कां. 2943 समरजीत पासवान मिले जिन्हें साथ लेकर संदिग्ध व्यक्ति व वस्तुओं की चेकिंग कर रहे थे कि अचानक पुलिस वालों को देखकर एक व्यक्ति पूछताछ खिड़की के पास से भागने लगा कि शक होने पर हमराहियों की मदद से दौड़ाकर भाग रहे व्यक्ति को मोटरसाइकिल स्टैण्ड के पास स्थित बैंक आफ इण्डिया के एटीएम के सामने पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर पकड़ा गया व्यक्ति अपना नाम कौशल प्रजापति पुत्र बहादुर प्रजापति निवासी जगदीशपुर थाना बबुरी जिला चन्दौली बताया। भागने का कारण पूछने पर बता रहा है कि उसके पास डायजापाम का नशीला पाउडर है इसलिये पकड़े जाने के डर से भाग रहा था। इसपर पकड़े गये कौशल प्रजापति को बताया गया कि तुम्हारे पास डायजापाम का नशीला पाउडर है इसलिये तुम्हारा अधिकार है कि तुम चलकर अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष दो। इसपर कौशल उपरोक्त अपनी गलती की माफी मांगते हुए कहने लगा कि उसे कहीं नहीं जाना है। आप लोगों ने पकड़ लिया है, आप ही उसकी जामा तलाशी ले लें, उसे आप लोगों पर विश्वास है। इसपर सहमतिपत्र तैयार कर अभियुक्त के हस्ताक्षर बनवाकर पहले पुलिस वाले उसके समक्ष आपस में एक दूसरे की जामा–तलाशी ले दे कर इत्मिनान हुए कि किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं है, पकड़े गये कौशल उपरोक्त की जामा तलाशी ली गयी तो उसके पैंट के दाहिने जेब से एक प्लास्टिक की पन्नी के अन्दर अखबारी कागज में लपेटा सफेद रंग का पाउडर डायजापाम बरामद हुआ। अभियुक्त का यह कार्य अन्तर्गत धारा 8/21/22 एनडीपीएस ऐक्ट के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः कारण बताकर समय करीब 14.00 बजे हिरासत में तथा बरामद माल को कब्जा में लिया गया। कां. सतीश तिवारी से थाने से बाट माप मंगाकर वजन किया गया तो कौशल से बरामद डायजापाम का वजन करीब 240 ग्राम हुआ जिसे मौके पर उसी कागज व पन्नी में रखकर सफेद कपड़े में रखकर सर्वमुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया। मौके पर यात्रियों की भीड़ इकट्ठा है

लेकिन गवाही के नाम पर बिना नाम बताये हट बढ़ गये। दौरान गिरफ्तारी व बरामदगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा–निर्देशों का पालन किया गया। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के घर अकब से भिजवाया जायेगा। फर्द मौके पर लिखकर पढ़कर सुनाकर सभी सम्बन्धित के अलामात बनवाये जा रहे हैं। फर्द की एक प्रति अभियुक्त को दी गयी। साक्षी पीडब्लू–1 निरीक्षक सुदेश कुमार सिंह, जो प्रश्नगत घटना का वादी मुकदमा है, ने अपने मुख्य बयान में यह कहा है कि दिनांक 06–03–2013 को वह जीआर.पी. थाना मुगलसराय में बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। उस दिन चेकिंग करते हुए प्लेटफार्म से पीएचबी पहुंचा कि वहां पर कां. सतीश कुमार तिवारी व कां. समरजीत पासवान मिले। उन दोनो को साथ लेकर चेकिंग कर रहे थे कि अचानक पुलिस वालों को देखकर एक व्यक्ति पूछताछ खिड़की के पास से भागने लगा। शक होने पर उस व्यक्ति को हमराहियों की मदद से दौड़ाकर मोटरसाइकिल स्टैण्ड के पास स्थित बैंक आफ इण्डिया के एटीएम के पास पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम कौशल प्रजापति पुत्र बहादुर प्रजापति निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना बबुरी जिला चन्दौली बताया। भागने का कारण पूछने पर कारण बताया कि उसके पास डायजापाम का नशीला पाउडर है इसलिये पकड़े जाने के डर से भाग रहा था। तब कौशल उपरोक्त को बताया गया कि उसके पास डायजापाम का नशीला पाउडर है इसलिये उसका यह अधिकार है कि वह अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष चलकर दे। इसपर कौशल अपनी गलती की माफी मांगते हुए कहने लगा कि जब आप लोगों ने पकड़ ही लिया है तो उसकी जामा तलाशी आप ही लोग ले लीजिए उसे आप लोगों पर विश्वास है। इसपर एक सहमतिपत्र तैयार करके कौशल का हस्ताक्षर बनवाया गया तथा पुलिस वाले एक दूसरे की जामा–तलाशी ले दे कर इत्मिनान हुए कि किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं है, कौशल उपरोक्त की जामा तलाशी ली गयी तो उसके पहने हुए पैंट के दाहिने जेब से एक प्लास्टिक की पन्नी में अखबारी कागज में लपेटा सफेद रंग का पाउडर डायजापाम बरामद हुआ। अभियुक्त का यह कार्य अन्तर्गत धारा 8/21/22 एनडीपीएस ऐक्ट के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः कारण बताकर समय 14.00 बजे हिरासत में तथा बरामद माल कब्जा पुलिस में लिया गया। कां. सतीश तिवारी से थाने से बाट माप मंगाकर बरामद माल का वजन किया गया तो अभियुक्त कौशल से बरामद माल डायजापाम पाउडर का वजन 240 ग्राम हुआ। मौके पर उसी कागज व पन्नी में रखकर सफेद कपड़े में सर्वमुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया। मौके पर काफी यात्री थे। उनसे गवाही के लिये कहा गया तो भलाई–बुराई के वजह से कोई तैयार नहीं हुआ। दौरान गिरफ्तारी व बरामदगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा–निर्देशों का पालन किया गया था। फर्द उसके द्वारा मौके पर लिखकर पढ़कर सुनाकर सभी सम्बन्धित के अलामात बनवाये गये थे। फर्द की एक प्रति अभियुक्त का दी गयी थी। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के घर भेजवाया गया था। पत्रावली में संलग्न मूल फर्द बरामदगी को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही मूल फर्द बरामदगी है जिसे उसने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। साक्षी ने पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 4क/3 पर अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान किया जिसपर प्रदर्श क–1 डाला गया। पत्रावली में संलग्न गिरफ्तारी प्रपत्र कागज संख्या 9ख को देखकर साक्षी ने कहा कि इसपर उसके लेख व हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान किया जिसपर प्रदर्श क–2 डाला गया। जो माल अभियुक्त कौशल प्रजापति के कब्जे से डायजापाम बरामद किया गया था वह आज न्यायालय में प्रस्तुत है जो सीलबन्द हालत में सफेद कपड़े में प्रस्तुत है जिसपर मु.अ.सं., धारा व थाना अंकित है। न्यायालय में माल को खोला गया जिसे सफेद कपड़े में सील किया गया है उसपर वस्तु प्रदर्श–1, माल पर वस्तु प्रदर्श–2 डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था। इसी प्रकार साक्षी पीडब्लू–2 हेडकां0

समरजीत पासवान ने अपने मुख्य बयान में यह कहा है कि दिनांक 06–03–2013 को वह बतौर कां. थाना जीआर.पी. मुगलसराय पर तैनाती के दौरान कां. सतीश कुमार तिवारी के साथ पीएचबी पर मौजूद था कि एस.आई. सुदेश कुमार सिंह चेकिंग करते हुए वहां पहुंचे तथा उन लोगों को साथ लेकर चेकिंग कर रहे थे कि अचानक उन पुलिस वालों को देखकर एक व्यक्ति पूछताछ खिड़की के पास से भागने लगा कि शक होने पर पुलिस वालों ने दौड़ाकर भाग रहे व्यक्ति को मोटरसाइकिल स्टैण्ड के पास स्थित बैंक आफ इण्डिया के एटीएम के सामने पकड़ लिया। नाम पता तथा भागने का कारण पूछने पर पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम कौशल प्रजापति पुत्र बहादुर प्रजापति निवासी जगदीशपुर थाना बबुरी जिला चन्दौली बताया तथा यह भी बताया कि उसके पास डायजापाम का नशीला पाउडर है इसलिये पकड़े जाने के डर से भाग रहा था। इसपर उसे बताया गया कि उसके पास डायजापाम का नशीला पाउडर है इसलिये तुम्हारा यह अधिकार है कि तुम चलकर अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष दो। इसपर अभियुक्त उपरोक्त ने अपनी गलती की माफी मांगते हुए कहा कि उसे कहीं नहीं जाना है। आप लोगों ने पकड़ लिया है, आप ही लोग उसकी जामा तलाशी ले लीजिये, उसे आप लोगों पर पूरा विश्वास है। इसपर उक्त अभियुक्त कौशल प्रजापति का सहमतिपत्र कां. सतीश कुमार तिवारी ने अपने लेख में तैयार किया था जिसे पढ़कर अभियुक्त कौशल प्रजापति ने अपना हस्ताक्षर किया था। कां. सतीश तिवारी को उसने ड्यिूटी के दौरान लिखते–पढ़ते देखा है। उनकी मृत्यु हो गयी है। वह उनके लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता है। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 18ख पर कां. सतीश तिवारी के लेख की पहचान किया जिसपर प्रदर्श क–3 डाला गया। तत्पश्चात् वे पुलिस वाले एक दूसरे की जामा–तलाशी ले दे कर इत्मिनान हुए कि किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं है, पकड़े गये अभियुक्त की जामा तलाशी ली गयी तो उसके दाहिने जेब से एक प्लास्टिक की पन्नी के अन्दर अखबारी पेपर में लिपटा डायजापाम बरामद हुआ। अभियुक्त का यह कार्य अन्तर्गत धारा 8/21/22 एनडीपीएस ऐक्ट के तहत दण्डनीय अपराध जानकर कारण बताकर समय करीब 14.00 बजे हिरासत में तथा बरामद माल को कब्जा में लिया गया। कां. सतीश तिवारी से थाने से बाट माप मंगाकर वजन किया गया तो अभियुक्त कौशल से बरामद डायजापाम का वजन 240 ग्राम हुआ जिसे मौके पर उसी कागज व पन्नी में रखकर सर्वमुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया। मौके पर यात्रियों की भीड़ थी लेकिन गवाही के लिये कोई तैयार नहीं हुआ। दौरान गिरफ्तारी व बरामदगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा–निर्देशों का पालन किया गया। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के परिजन को दी गयी। फर्द मौके पर एस.आई. सुदेश कुमार सिंह ने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार कर पढ़कर सुनाकर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर बनवाये गये। उसने भी अपना हस्ताक्षर बनाया था। साक्षी ने प्रदर्श क–1 पर अपने हस्ताक्षर की पहचान किया। विवेचक ने उसका बयान लिया था। अब यह देखना है कि क्या अभियोजनपक्ष अपने साक्ष्यों के माध्यम से अभियोजन कथानक को साबित करने में सफल हो रहा है अथवा नहीं। इसी प्रकार अब यह भी देखना है कि क्या अभियोजनपक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य विश्वसनीय है अथवा नहीं। प्रश्नगत प्रकरण में जनता का कोई गवाह नहीं है। फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 में यह अभिकथित है कि मौके पर यात्रियों की भीड़ इकट्ठा है लेकिन गवाही के नाम पर बिना नाम पता बताये हट बढ़ गये। इसी प्रकार साक्षी पीडब्लू–1 वादी मुकदमा निरीक्षक सुदेश कुमार सिंह ने अपने मुख्य बयान में यह कहा है कि मौके पर काफी यात्री थे उनसे गवाही के लिए कहा गया तो भलाई बुराई की वजह से कोई तैयार नहीं हुआ। इसी प्रकार साक्षी पीडब्लू–2 हेडकां0 समरजीत पासवान ने अपने मुख्य बयान में यह कहा है कि मौके पर यात्रियो की भीड़ थी लेकिन गवाही के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 में अंकित यह बात कि मौके पर यात्रियो की भीड़ इकट्ठा थी लेकिन गवाही के

नाम पर बिना नाम पता बताये हट बढ़ गये, सही जाहिर नहीं होती है क्योंकि साक्षी पीडब्लू–1 निरीक्षक सुदेश कुमार सिंह व साक्षी पीडब्लू–2 हेडकां0 समरजीत पासवान ने अपने–अपने मुख्य बयान में सिर्फ यह कहा है कि मौके पर काफी यात्री थे उनसे गवाही के लिए कहा गया परन्तु भलाई बुराई की वजह से कोई तैयार नहीं हुआ। साक्षी पीडब्लू–1 निरीक्षक सुदेश कुमार सिंह व साक्षी पीडब्लू–2 हेडकां0 समरजीत पासवान ने अपने–अपने मुख्य बयानों में कहीं भी यह नहीं कहा है कि मौके पर उपस्थित यात्रीगण ने अपना नाम पता बताने से इन्कार किया था इससे ऐसा जाहिर होता है कि वादी व उसके हमराहियान द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में जनता के गवाहों को नामित करने व उनसे गवाही कराने का कोई प्रयास नहीं किया गया। साक्षी पीडब्लू–1 निरीक्षक सुदेश कुमार सिंह ने अपने बयान अन्तर्गत जिरह में यह कहा है कि जहॉ पर अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई थी वहॉ जनता के लोग थे उनसे गवाही के लिए कहा तो वे आपसी भलाई बुराई कहते हुए हट बढ़ गये परन्तु उपरोक्तानुसार यह बात देखी जा चुकी है कि साक्षी पीडब्लू–1 निरीक्षक सुदेश कुमार सिंह व साक्षी पीडब्लू–2 हेडकां0 समरजीत पासवान ने अपने–अपने मुख्य बयान में कहीं भी यह नहीं कहा है कि मौके पर उपस्थित लोगों ने अपना नाम पता बताने से इन्कार किया था इससे भी ऐसा जाहिर होता है कि वादी व उसके हमराहियान द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में जनता के गवाहों को नामित करने व उनसे गवाही कराने का कोई प्रयास नहीं किया गया। साक्षी पीडब्लू–2 हेडकां0 समरजीत पासवान ने अपने बयान अन्तर्गत जिरह में यह कहा है कि प्रतीक्षा हाल में बहुत यात्री थे और रेलवे के कर्मचारी भी थे यात्रियों व रेलवे कर्मचारी से गवाही के लिए आग्रह किया गया था लेकिन कोई गवाही के लिए तैयार नहीं हुआ परन्तु यह बात सही जाहिर नहीं होती है क्योंकि फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 में कहीं भी यह अंकित नहीं है कि वादी व उसके हमराहियान द्वारा प्रतीक्षा हाल में मौजूद यात्रीगण से व रेलवे के कर्मचारीगण से प्रश्नगत प्रकरण में गवाही के लिए कहा गया और वे गवाही करने से इन्कार किए। इससे भी यह जाहिर है कि वादी व उसके हमराहियान द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में जनता के गवाहों को नामित करने व उनसे गवाही कराने का कोई प्रयास नहीं किया गया जबकि घटनास्थल एक लोक स्थान है। रेलवे स्टेशन पर वेण्डर कुली व सामानो को बेचने वाले दुकानदार भी मौजूद रहते हैं। वादी व उसके हमराहियान उक्त वेण्डर, कुली अथवा दुकानदारों से प्रश्नगत प्रकरण में गवाही करा सकते थे परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। इससे भी यह साफ जाहिर है कि वादी व उसके हमराहियान द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में जनता के गवाहों को नामित करने व उनसे गवाही कराने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इससे प्रश्नगत घटना के समय अभियुक्त कौशल प्रजापति के पास से वादी व उसके हमराहियान द्वारा 240 ग्राम अवैध डायजापाम पावडर की बरामदगी किया जाना संदिग्ध जाहिर होता है। **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मीनापुन बनाम स्टेट ऑफ यू.पी 2023(4) जे.आई.सी 687 एस.सी** पर यह विधि व्यवस्था दी गई है कि यदि अभियुक्त के पास से रिकवरी लोक स्थान पर की गई हो और कोई स्वतन्त्र गवाह न हो तो अभियुक्त के पास से पुलिस द्वारा की गई रिकवरी संदिग्ध होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय की उक्त विधि व्यवस्था प्रश्नगत प्रकरण में पूरी तरह से लागू है क्योंकि पत्रावली से यह स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा अभियुक्त कौशल प्रजापति के पास से तथाकथित डायजापाम पावडर की बरामदगी पब्लिक प्लेस पर किया जाना अभिकथित है और प्रश्नगत प्रकरण में कोई स्वतन्त्र जनता का गवाह पुलिस द्वारा नहीं बनाया गया है। इससे भी अभियुक्त कौशल प्रजापति के पास से 240 ग्राम डायजापाम पावडर की बरामदगी संदिग्ध जाहिर होती है। **माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रोशन लाल बनाम स्टेट ऑफ यू.पी 2007(2) जे.आई.सी 650 इलाहाबाद** पर यह विधि व्यवस्था दी गई है कि यदि पुलिस द्वारा अभियुक्त के पास से रिकवरी लोक स्थान पर की गई हो और किसी स्वतन्त्र गवाह को नामित न किया गया हो तो रिकवरी संदिग्ध होती है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की उक्त विधि व्यवस्था

प्रश्नगत प्रकरण में पूरी तरह से लागू है क्योंकि पत्रावली से यह स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा अभियुक्त कौशल प्रजापति के पास से तथाकथित डायजापाम पावडर की बरामदगी पब्लिक प्लेस पर किया जाना अभिकथित है और प्रश्नगत प्रकरण में कोई जनता का स्वतन्त्र गवाह पुलिस द्वारा नहीं बनाया गया है। इससे भी अभियुक्त कौशल प्रजापति के पास से 240 ग्राम डायजापाम पावडर की बरामदगी संदिग्ध जाहिर होती है। इसी प्रकार **माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा चिनकू बनाम स्टेट ऑफ यू.पी 2016(1) जे.आई.सी 915 इलाहाबाद** पर भी यह विधि व्यवस्था दी गई है कि यदि रिकवरी का जनता का गवाह नहीं है और रिकवरी लोक स्थान पर किया जाना अभिकथित है तो अभियुक्त के पास से पुलिस द्वारा तथाकथित रूप में की गई रिकवरी संदिग्ध जाहिर होती है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की भी उक्त विधि व्यवस्था प्रश्नगत प्रकरण में पूरी तरह से लागू है क्योंकि प्रश्नगत प्रकरण में भी अभियुक्त कौशल प्रजापति के पास से 240 ग्राम डायजापाम पावडर की रिकवरी लोक स्थान पर किया जाना अभिकथित है परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में जनता का कोई गवाह नहीं है। इससे भी प्रश्नगत घटना के समय अभियुक्त कौशल प्रजापति के पास से वादी व उसके हमराहियान द्वारा 240 ग्राम नाजायज डायजापाम पावडर की बरामदगी संदिग्ध जाहिर होती है। साक्षी पीडब्लू–1 निरीक्षक सुदेश कुमार सिंह ने अपने बयान अन्तर्गत जिरह में यह कहा है कि थाने से उसकी रवानगी कब हुई थी, याद नहीं है। रपट संख्या याद नहीं है। इसी प्रकार साक्षी पीडब्लू–2 हेडकां0 समरजीत पासवान ने अपने बयान अन्तर्गत जिरह में यह कहा है कि उसकी रवानगी थाने से किस रपट संख्या से हुई थी याद नहीं है। पत्रावली से यह भी स्पष्ट है कि पत्रावली पर वादी मुकदमा निरीक्षक सुदेश कुमार सिंह व हमराहियान कां0 सतीश कुमार तिवारी व हेडकां0 समरजीत पासवान की थाने से रवानगी की कोई जी.डी अथवा उसकी कोई प्रमाणित प्रति अथवा उसकी छायाप्रति न तो दाखिल है और न ही उसे अभियोजनपक्ष द्वारा साबित ही कराया गया है। इससे घटनास्थल पर वादी मुकदमा निरीक्षक सुदेश कुमार सिंह व उसके हमराहियान कां0 सतीश कुमार तिवारी व हेडकां0 समरजीत पासवान की उपस्थिति संदिग्ध जाहिर होती है और प्रश्नगत घटना के समय वादी व उसके हमराहियान द्वारा अभियुक्त कौशल प्रजापति के पास से तथाकथित रूप में बरामद 240 ग्राम नाजायज डायजापाम पावडर की बरामदगी भी संदिग्ध जाहिर होती है। **मथुरा प्रसाद मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2005 (1) जे.आई.सी 970 इलाहाबाद** की विधि व्यवस्था में यह स्पष्ट किया गया है कि थाने से पुलिस की रवानगी की जी.डी को विधि सम्मत रूप से साबित कराया जाना आवश्यक है। उपरोक्त विधिक स्थिति के परिपेक्ष्य में वर्तमान प्रकरण में रवानगी जी.डी को अभियोजनपक्ष द्वारा पत्रावली पर दाखिल न करना और उसको साबित न कराया जाना अभियोजन कथानक को कमजोर करता है और फर्जी कार्यवाही एवं फर्जी बरामदगी की सम्भावना को बल देता है। इससे भी प्रश्नगत घ टना के समय अभियुक्त कौशल प्रजापति के पास से वादी व उसके हमराहियान द्वारा 240 ग्राम नाजायज डायजापाम पावडर की बरामदगी संदिग्ध जाहिर होती है। अभियोजनपक्ष द्वारा मालखाना रजिस्टर अथवा मालखाना रजिस्टर की कोई छायाप्रति पत्रावली पर दाखिल नहीं की गई है जिससे यह स्पष्ट हो कि अभियुक्त कौशल प्रजापति के पास से तथाकथित रूप में बरामद डायजापाम पावडर मालखाने में सुरक्षित रूप से जमा हुआ हो और तत्पश्चात वहॉ से विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया हो और माल में छेड़छाड़ की सम्भावना न रही हो। उपरोक्तानुसार अभियोजनपक्ष द्वारा मालखाना रजिस्टर अथवा उसकी कोई प्रमाणित प्रति अथवा कोई छायाप्रति पत्रावली पर दाखिल नहीं की गई है जिसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वादी व उसके हमराहियान द्वारा अभियुक्त कौशल प्रजापति के पास से तथाकथित रूप में बरामद नशीला पावडर डायजापाम सुरक्षित रूप से सम्बन्धित थाने के मालखाने में जमा हुआ होगा और वहॉ से बिना छेड़छाड़ के विधि विज्ञान प्रयोगशाला

भेजा गया होगा। **माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा करन सिंह बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड 2016 (1) जे.आई.सी 555 उत्तराखण्ड** पर यह विधि व्यवस्था दी गई है कि यदि मालखाना रजिस्टर न्यायालय में पेश करके यह साबित न कराया गया हो कि माल मालखाने में जमा किया गया था और यह सेफ कस्टडी में था तो अभियुक्त को गलत ढंग से फॅसाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की उक्त विधि व्यवस्था प्रश्नगत प्रकरण में पूरी तरह से लागू है क्योंकि अभियोजनपक्ष द्वारा मालखाना रजिस्टर अथवा उसकी कोई छायाप्रति अथवा प्रमाणित प्रति पत्रावली पर न तो दाखिल की गई है और न ही उसे साबित कराया गया है जिससे यह जाहिर हो कि अभियुक्त कौशल प्रजापति के पास से तथाकथित रूप में बरामद नशीला डायजापाम पावडर थाने के मालखाने में सुरक्षित जमा हुआ हो और वहॉ से बिना छेड़छाड़ के विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया हो। इससे भी अभियुक्त कौशल प्रजापति के पास से वादी व उसके हमराहियान द्वारा 240 ग्राम नशीला पावडर डायजापाम बरामद करने की बात संदिग्ध जाहिर होती है। पत्रावली पर अभियोजनपक्ष द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गयी है और पत्रावली तथा साक्षी पीडब्लू–4 निरीक्षक विमल प्रकाश राय जो प्रश्नगत प्रकरण के विवेचक है, के बयानों से यह स्पष्ट है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट आये बिना ही उनके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त कौशल प्रजापति के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया था। साक्षी पीडब्लू–4 निरीक्षक विमल प्रकाश राय जो प्रश्नगत प्रकरण के विवेचक है, ने अपने बयान अन्तर्गत जिरह में यह कहा है कि इस पत्रावली में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट क्यो नहीं लगी है यह वह नहीं बता सकता क्योंकि तत्समय उसका स्थानान्तरण हो गया था। आज तक अभियोजनपक्ष द्वारा पत्रावली पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गयी है जिससे यह स्पष्ट हो कि अभियुक्त कौशल प्रजापति के पास से तथाकथित रूप में वादी व उसके हमराहियान द्वारा बरामद 240 ग्राम पावडर जॉच के उपरान्त डायजापाम पावडर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में पाया गया हो जब तक विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा न हो जाय कि अभियुक्त कौशल प्रजापति के पास से तथाकथित रूप मे बरामद पावडर जॉच के उपरान्त डायजापाम पाया गया है तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि वादी व उसके हमराहियान द्वारा अभियुक्त कौशल प्रजापति के पास से तथाकथित रूप में बरामद पावडर डायजापाम ही था। उपरोक्तानुसार यह स्पष्ट है कि आज तक पत्रावली पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। अतः इससे भी अभियुक्त कौशल प्रजापति के पास से वादी व उसके हमराहियान द्वारा तथाकथित रूप में 240 ग्राम डायजापाम पावडर की बरामदगी संदिग्ध जाहिर होती है। फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 में, साक्षी पीडब्लू–1 निरीक्षक सुदेश कुमार सिंह के मुख्य बयान में व साक्षी पीडब्लू–2 हेडकां0 समरजीत पासवान के मुख्य बयान में यह अभिकथित है कि अभियुक्त कौशल प्रजापति के पास से बरामद 240 ग्राम डायजापाम पावडर को उसी कागज व पन्नी में रखकर सफेद कपड़े में सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया था परन्तु पत्रावली पर कोई भी नमूना मोहर उपलब्ध नहीं है। इससे भी अभियुक्त कौशल प्रजापति के पास से वादी व उसके हमराहियान द्वारा 240 ग्राम नशीला पावडर डायजापाम बरामद करने की बात संदिग्ध जाहिर होती है। पुनः अभियोजनपक्ष द्वारा पत्रावली पर ऐसा भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि उक्त नमूना मोहर विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया हो। **माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा श्रीमती सरस्वती बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 2023(4) जे.आई.सी 314 इलाहाबाद एल.बी** पर यह विधि व्यवस्था दी गई है कि यदि फोरेसिंक साइन्स लेबोरटरी में नमूना मोहर न भेजा गया हो तो अभियुक्त के पास से तथाकथित रिकवरी संदिग्ध जाहिर होती है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ की उक्त विधि व्यवस्था प्रश्नगत प्रकरण

में पूरी तरह से लागू है क्योंकि अभियोजनपक्ष द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नमूना मोहर भेजा गया हो। इससे भी अभियुक्त कौशल प्रजापति के पास से 240 ग्राम डायजापाम पावडर की बरामदगी संदिग्ध जाहिर होती है। अभियोजनपक्ष द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि वादी व उसके हमराहियान द्वारा अभियुक्त कौशल प्रजापति के पास से तथाकथित रूप में बरामद 240 ग्राम नाजायज डायजापाम पावडर को सील करने के बाद थाने आने पर उस पर एस.एच.ओ की सील लगवाई गयी हो। साक्षी पीडब्लू–2 हेडकां0 समरजीत पासवान ने अपने बयान अन्तर्गत जिरह में यह कहा है कि माल मुल्जिम को लेकर थाने पर वे लोग गये उस वक्त प्रभारी निरीक्षक जी.आर.पी मौजूद नहीं थे। माल मुल्जिम को उसके सामने एस.एच.ओ के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त कौशल प्रजापति के पास से तथाकथित रूप में बरामद 240 ग्राम नाजायज डायजापाम पावडर को सील करने के बाद उस पर सम्बन्धित एस.एच.ओ के हस्ताक्षर नही हुए थे। **माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा चिनकू बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 2016(1) जे.आई.सी 915 इलाहाबाद** पर यह विधि व्यवस्था दी गई है कि यदि नमूने पर एस.एच.ओ की सील लगना साबित न किया गया हो तो अभियोजन कथानक संदिग्ध जाहिर होता है। पत्रावली से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त कौशल प्रजापति के पास से तथाकथित रूप में बरामद 240 ग्राम डायजापाम पावडर में से कोई भी नमूना मौके पर नहीं निकाला गया था। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि जो माल अभियुक्त के पास से तथाकथित रूप में पकड़ा जाना अभिकथित है उसका न तो कोई नमूना माल निकाला गया था और न माल पर और न ही नमूना माल पर एस.एच.ओ की कोई सील लगवाई गई थी इससे भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की उक्त विधि व्यवस्था के तहत अभियुक्त कौशल प्रजापति के पास से वादी व उसके हमराहियान द्वारा 240 ग्राम नशीला पावडर डायजापाम की बरामदगी संदिग्ध जाहिर होती है। पत्रावली से यह स्पष्ट है कि वादी व उसके हमराहियान द्वारा अभियुक्त कौशल प्रजापति के पास से अचानक उसके पहने पैण्ट के दाहिनी जेब से 240 ग्राम नाजायज डायजापाम पावडर की बरामदगी किया जाना अभिकथित है। अचानक बरामदगी के मामले में धारा 50 एन.डी.पी.एस ऐक्ट के अनुपालन की आवश्यकता नहीं होती है। **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत भाई भगवान जी भाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात 2003 सीआर.एल.जे 65 एस.सी** पर यह विधि व्यवस्था दी गयी है कि यदि अभियुक्त पुलिस बल को देखकर भागने लगा हो और शंका होने पर पुलिस बल द्वारा अभियुक्त की तलाशी से प्रतिबन्धित पदार्थ बरामद किया गया हो और प्रतिबन्धित पदार्थ अभियुक्त के पास होने की पूर्व सूचना पुलिस बल को न रही हो तो धारा 50 एन.डी. पी.एस ऐक्ट के प्रावधान लागू नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार यह बात देखी जा चुकी है कि वादी व उसके हमराहियान द्वारा अचानक अभियुक्त कौशल प्रजापति के पहने पैण्ट की दाहिनी जेब से 240 ग्राम नशीला डायजापाम पावडर बरामद किया जाना अभिकथित है और अभियुक्त कौशल प्रजापति के पास उक्त नशीले पावडर होने की कोई पूर्व सूचना वादी व उसके हमराहियान को नहीं थी और शंका के आधार पर उक्त बरामदगी किया जाना अभिकथित है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय की उक्त विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए वादी व उसके हमराहियान के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वे धारा 50 एन.डी.पी.एस ऐक्ट के तहत अभियुक्त कौशल प्रजापति की पर्सनल सर्च किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष लिवाते और इसप्रकार प्रश्नगत प्रकरण में धारा 50 एन.डी.पी.एस ऐक्ट के प्रावधान उपरोक्तानुसार दिए गए निष्कर्ष व माननीय उच्चतम न्यायालय की उक्त विधि व्यवस्था को देखते हुए लागू नहीं होगा। इस प्रकार यदि वादी व उसके हमराहियान द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में धारा 50 एन.डी. पी.एस ऐक्ट का अनुपालन नहीं किया गया है तो उसके आधार पर किसी प्रकार की

कोई अनियमितता पुलिस बल द्वारा किया जाना जाहिर नहीं होता है। पत्रावली पर अभियोजनपक्ष द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि वादी अथवा उसके हमराहियान द्वारा अभियुक्त कौशल प्रजापति के पास से तथाकथित रूप में बरामद 240 ग्राम नशीले डायजापाम पावडर व उसकी गिरफ्तारी की सूचना 48 घण्टे के अन्दर अपने वरिष्ठ अधिकारी को दी गई हो। इससे भी यह स्पष्ट है कि वादी व उसके हमराहियान द्वारा प्रश्नगत घटना की कोई सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को 48 घण्टे के भीतर नहीं दी गई। इस प्रकार वादी व उसके हमराहियान द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में धारा 57 एन.डी.पी.एस ऐक्ट का भी कोई अनुपालन नहीं किया गया है। **माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा इरशाद अहमद उर्फ सेखू बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 2005(3) जे.आई.सी 340 इलाहाबाद** पर यह विधि व्यवस्था दी गई है कि यदि धारा 57 एन.डी.पी.एस ऐक्ट का अनुपालन नहीं किया गया है तो यह अभियोजन कथानक को संदिग्ध करता है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की उक्त विधि व्यवस्था प्रश्नगत प्रकरण में पूरी तरह से लागू है क्योंकि उपरोक्तानुसार यह बात देखी जा चुकी है कि वादी व उसके हमराहियान द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में धारा 57 एन.डी.पी.एस ऐक्ट का कोई अनुपालन नहीं किया गया है। इससे भी प्रश्नगत घटना के समय अभियुक्त कौशल प्रजापति के पास से वादी व उसके हमराहियान द्वारा 240 ग्राम नाजायज डायजापाम नशीले पावडर की बरामदगी संदिग्ध जाहिर होती है। अभियोजनपक्ष द्वारा धारा 52(क) एन.डी.पी.एस ऐक्ट का भी अनुपालन प्रश्नगत प्रकरण में नहीं किया गया है। धारा 52क एन.डी.पी.एस ऐक्ट के प्रावधान के अनुसार जब कोई भी प्रतिबन्धित नशीला पदार्थ जब्त किया जाता है तो उसे निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को या धारा 53 में वर्णित अधिकारी को अग्रसारित किया जाता है जिस अधिकारी को बरामद माल अग्रसारित किया जाता है वह अधिकारी बरामद माल के सन्दर्भ में विस्तार से बरामद माल के विवरण सहित जैसे मात्रा, गुणवत्ता, पैकिंग किये जाने के तरीके पहचान चिन्ह एवं क्रम से एक वस्तु सूची तैयार करता है और एक आवेदनपत्र मजिस्ट्रेट को इस आशय के साथ प्रस्तुत करता है कि वह बनायी गई वस्तु सूची की सत्यता को प्रमाणित करे और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में प्रतिनिधि सेम्पल निकालकर प्रतिनिधि सेम्पल से सम्बन्धित विवरण को प्रमाणित करें। साक्षी पीडब्लू–5 निरीक्षक विमल प्रकाश राय ने अपने बयान अन्तर्गत जिरह में यह कहा है कि उसने बरामद शुदा माल की कोई अलग से सूची नहीं बनाया था तथा माल को खोलकर जज साहब को नहीं दिखाया था। बरामद शुदा माल पर जज साहब की मोहर नहीं लगी थी बल्कि उन्होंने सीन किया था और इस प्रकार वर्तमान प्रकरण में अभियोजनपक्ष द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि धारा 52क की उपधारा–2 व 3 में वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया हो और कोई वस्तु सूची तैयार की गई हो। इससे यह स्पष्ट है कि वादी व उसके हमराहियान द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में धारा 52क एन.डी.पी.एस ऐक्ट का भी कोई अनुपालन नहीं किया गया है, इससे भी प्रश्नगत घटना के समय वादी व उसके हमराहियान द्वारा अभियुक्त कौशल प्रजापति के पास से तथाकथित रूप में बरामद 240 ग्राम डायजापाम पावडर की बरामदगी किया जाना संदिग्ध जाहिर होता है। इसी प्रकार पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रश्नगत प्रकरण में धारा 55 एन.डी. पी.एस ऐक्ट का भी कोई अनुपालन नहीं किया गया है। इससे भी प्रश्नगत घटना के समय वादी व उसके हमराहियान द्वारा अभियुक्त कौशल प्रजापति के पास से तथाकथित रूप में बरामद 240 ग्राम डायजापाम पावडर की बरामदगी किया जाना संदिग्ध जाहिर होता है। अभियोजनपक्ष द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि नमूना मोहर विधि विज्ञान प्रयोगशाला रामनगर वाराणसी भेजा गया हो। **माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा श्रीमती सरस्वती बनाम स्टेट ऑफ यू.पी 2023(4) जे.आई.सी 314 इलाहाबाद एल.बी.** यह

विधि व्यवस्था दी गई है कि यदि नमूना मोहर विधि विज्ञान प्रयोगशाला न भेजा गया हो तो यह अभियोजन कथानक को संदिग्ध करता है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ की उक्त विधि व्यवस्था प्रश्नगत प्रकरण में पूरी तरह से लागू है क्योंकि पत्रावली पर अभियोजनपक्ष द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि नमूना मोहर जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला रामनगर वाराणसी उत्तर प्रदेश को भेजा गया हो। इससे भी प्रश्नगत घटना के समय वादी व उसके हमराहियान द्वारा अभियुक्त कौशल प्रजापति के पास से तथाकथित रूप में बरामद 240 ग्राम डायजापाम पावडर की बरामदगी किया जाना संदिग्ध जाहिर होता है। फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1, साक्षी पीडब्लू–1 निरीक्षक सुदेश कुमार सिंह के मुख्य बयान व साक्षी पीडब्लू–2 हेडकां0 समरजीत पासवान के मुख्य बयान से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त कौशल प्रजापति का सहमति पत्र मौके पर तैयार किया गया था और यह सहमति पत्र पत्रावली पर प्रदर्श क–3 के रूप में उपलब्ध है। साक्षी पीडब्लू–2 हेडकां0 समरजीत पासवान के मुख्य बयान से यह स्पष्ट है कि उक्त सहमति पत्र कां0 सतीश कुमार तिवारी द्वारा तैयार किया गया था परन्तु उक्त सहमति पत्र प्रदर्श क–3 पर न तो वादी मुकदमा निरीक्षक सुदेश सिंह का हस्ताक्षर है, न ही उस पर कां0 सतीश कुमार तिवारी का हस्ताक्षर है और न ही उस पर कां0 समरजीत पासवान के हस्ताक्षर है। इससे भी अभियोजन कथानक सही जाहिर नहीं होता है। अभियोजनपक्ष के अनुसार अभियुक्त कौशल प्रजापति का उक्त सहमति पत्र वादी व उसके हमराहियान द्वारा मौके पर ही घटनास्थल पर ही तैयार किया जाना अभिकथित है परन्तु साक्षी पीडब्लू–2 हेडकां0 समरजीत पासवान ने अपने बयान अन्तर्गत जिरह में यह कहा है कि सहमति पत्र को कां0 सतीश कुमार तिवारी ने थाने पर लिखा था। मौके पर सहमति पत्र नहीं लिखा गया था। इससे भी अभियोजन कथानक संदिग्ध जाहिर होता है। साक्षी पीडब्लू–1 निरीक्षक सुदेश कुमार सिंह ने अपने बयान अन्तर्गत जिरह में यह कहा है कि माल व मुल्जिम को थाना प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत किया था परन्तु साक्षी पीडब्लू–2 हेडकां0 समरजीत पासवान ने अपने बयान अन्तर्गत जिरह में यह कहा है कि माल मुल्जिम को लेकर थाने पर वे लोग गये उस वक्त प्रभारी निरीक्षक जी.आर.पी मौजूद नहीं थे। माल मुल्जिम को उसके सामने एस.एच ओ के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। इससे भी अभियोजन कथानक सही जाहिर नहीं होता है। साक्षी पीडब्लू–1 निरीक्षक सुदेश कुमार सिंह ने अपने बयान अन्तर्गत जिरह में यह कहा है कि घटनास्थल से वाहन स्टैण्ड किस दिशा में है याद नहीं है। घटनास्थल से टिकट काउन्टर किस दिशा व कितनी दूरी पर है, याद नहीं है। इसी प्रकार साक्षी पीडब्लू–2 हेडकां0 समरजीत पासवान ने अपने बयान अन्तर्गत जिरह में यह कहा है कि मौके पर कुल कितने प्रपत्र बने थे इस समय याद नहीं है। घटनास्थल से वाहन स्टैण्ड कितनी दूरी पर व किस दिशा में है, याद नहीं है। इससे भी अभियोजन कथानक सही जाहिर नहीं होता है। फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 व साक्षी पीडब्लू–1 निरीक्षक सुदेश कुमार सिंह के मुख्य बयान में यह अभिकथित है कि अभियुक्त कौशल प्रजापति के पहने पैण्ट के दाहिनी जेब से डायजापाम पावडर बरामद हुआ था परन्तु साक्षी पीडब्लू–2 हेडकां0 समरजीत पासवान ने अपने मुख्य बयान में सिर्फ यह कहा है कि अभियुक्त की दाहिनी जेब से डायजापाम पावडर बरामद हुआ था। यह दाहिनी जेब उसके शर्ट की दाहिनी जेब है अथवा उसके पैण्ट की दाहिनी जेब है इसका खुलासा साक्षी पीडब्लू–2 हेडकां0समरजीत पासवान ने अपने मुख्य बयान में नहीं किया है। इससे भी अभियोजन कथानक संदिग्ध जाहिर होता है। इस प्रकार अभियोजनपक्ष द्वारा पत्रावली पर जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गये हैं उनके आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर हूँ कि अभियोजनपक्ष अपने केस को सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है और अभियोजनपक्ष के साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है और अभियुक्त कौशल प्रजापति विरचित आरोप से दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य है।

आदेश

9. अभियुक्त कौशल प्रजापति पुत्र बहादुर प्रजापति निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना बबुरी जिला चन्दौली को आपराधिक वाद संख्या 38/2013 अपराध संख्या 76/2013 धारा 8/21/22 एन.डी.पी.एस ऐक्ट थाना जी.आर.पी मुगलसराय जिला चन्दौली के तहत लगाये गये आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त कौशल प्रजापति उपरोक्त प्रश्नगत प्रकरण में जमानत पर है। अतः उसके जमानतनामे व बन्धनामे निरस्त किये जाते हैं तथा उसके प्रतिभूगण को उनके–उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त कौशल प्रजापति धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मु0 20,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की एक प्रतिभू 20 दिन के अन्दर न्यायालय में दाखिल करें। प्रश्नगत प्रकरण का माल मुकदमाती 240 ग्राम नशीला पावडर डायजापाम अपील न होने की दशा में बाद मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किया जाय और अपील होने की दशा में उक्त माल मुकदमाती 240 ग्राम नशीले पावडर डायजापाम का निस्तारण माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णयानुसार किया जायेगा।

दिनांक 13–05–2026

(दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी)
सत्र न्यायाधीश
चन्दौली।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा दिनांकित व हस्ताक्षरित होकर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक 13–05–2026

(दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी)
सत्र न्यायाधीश
चन्दौली।

स्टेनो– संजीत सिंह

J.O.Code.U.P.5730